न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 512 / 2012

RCMS Case No. 2012 / 00246

प्रार्थी :— सरकार जरिये तहसीलदार बाली

बनाम

अप्रार्थीः—
1. लक्ष्मण पुत्र समारामजी मेघवाल निवासी मोरी गांव तहसील बाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया

—:: आदेश ::—

दिनांक 28/3/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार बाली द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मोरी तहसील बाली के भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 97.59 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नदी में से अप्रार्थी को भूमि 0.04 हैक्टेयर भूमि आवंटित हुई है। जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 91/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा अप्रार्थीगण के नाम बतौर लीजदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 64 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि गै0मु0 नदी का आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम मोरी पटवार मण्डल सेणा के नामान्तरकरण संख्या 64 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश कमांक 1683—86 दिनांक 24.08.1993 के द्वारा अप्रार्थी लक्ष्मण के हक में आवंटन सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर एवं विधि अनुरूप किया गया है। उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी ने लाखों रूपये लगाकर कुंआ खुदवाया है तथा उस पर विद्युत कनेक्शन स्थापित कर रखा है तथा सिंचाई हेतु पाईप लाईन बिछाकर सिंचाई के उपयोग में ले रहा है। तहसीलदार बाली ने द्वारा आवेदन में तथ्यों को छुपाकर एक प्रिन्टेड प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों को भर कर आवंटन के 19 वर्षो पश्चात सन् 2012 में प्रस्तुत किया है। जैर आराजी भूमि माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के तहत आने वाली भूमि में से भिन्न है तथा इससे संबंधित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं इनके अतिरिक्त

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

आवश्यक दस्तावेजात् के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम मोरी तहसील बाली के हाल खसरा नम्बर 91/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नदी की भूमि लक्ष्मण पुत्र समाराम कौम मेघवाल सा0 देह लीजदार 10 साला राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 91 गै0मु0 नदी है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 64 के जरिये अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 91 की किस्म गै0मु0 नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है तथा तहसीलदार, बाली द्वारा उनके क्रमांक 327 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा प्राप्त उक्त आराजी की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि मौके पर कुंआ खुदा हुआ है व वर्तमान में पड़त है तथा उक्त कुंआ वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहा है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. वाला दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश क्रमांक/राजस्व/1683–86 दिनांक 24.08.1993 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम मोरी तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 64 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली